

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुझुनुं
 पीठासीन अधिकारी :: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)
 मिसल नं. = 153/2017
 सरकार बनान रणजीत पुत्र निक्कू, जाति-सांसी, निवासी- झेरली
 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 12.04.2018


निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रणजीत पुत्र निक्कू, जाति-सांसी, निवासी- झेरली द्वारा रोही मौजा झेरली की राजकीय भूमि ख.नं. 723/215 के कुल रकबा 21.68 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है० भूमि पर छप्पर बनाकर पुनः अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने दिनांक 30.10.2017 को हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस किया कि ग्राम झेरली के वर्तमान ख.नं. 723/215 रकबा 21.68 हैक्टर किस्म गै.मु. जोहड़ की भूमि पर उसने किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण नहीं कर रखा है। उसका परिवार भूमिहीन परिवार है, जाति सांसी है। अस्थायी रूप से झुग्गी लगकार अपना व अपने परिवार का निवास बना रखा है। साथ ही ग्राम पंचायत झेरली द्वारा जारी भूमिहीन प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी पेश की। साक्ष्य पेश करने हेतु समय भी चाहा। पटवारी हल्का को बयान दर्ज करवाने एवं घटना बही की नकल पेश करने हेतु पत्र लिखा गया। दिनांक 17.01.2018, 07.02.2018, 16.02.2018, 28.03.2018 को गैर सायल ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन अपील के आधार पर आगामी पेशी चाही गई। आदेशिता की प्रति भी पेश की गई। लेकिन कोई स्थगन आदेश पेश नहीं किया गया। पटवारी हल्का ने ना ही बयान कलमबद्ध करवाये गये एवं ना ही घटना बही की नकल आदिनांक तक पेश की गई। गैर सायल द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाहे जाते रहे, लेकिन अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई साक्ष्य/सबूत आदिनांक तक पेश करने में विफल रहा। ना ही प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्रकरण समरी ट्रायल प्रकृति का है, लेकिन काफी लम्बे समय से लम्बित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली, मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाबा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के वृष्ठ सं.....०।.....पर
 वर्ष 2018-19...में रुपये...5।.....कायम कि.।
 राजस्व लेखाकार


 (बनवारी लाल)
 नायब तहसीलदार, सूरजगढ़